EDUZONE: International Peer Reviewed/Refereed Multidisciplinary Journal (EIPRMJ), ISSN: 2319-5045
Volume 15, Issue 1, January - June, 2026, Available online at: www.eduzonejournal.com

''समावेशी शिक्षा के प्रति विद्यालयों के दृष्टिकोण का अध्ययन''

डॉ. सरिता शर्मा[1], सुमन यादव[2]

[1]असिस्टेंट प्रोफेसर, बियानी गर्ल्स बी.एड. कॉलेज, जयपुर
[2]बी.एड.एम.एड. छात्रा, बियानी गर्ल्स बी.एड. कॉलेज, जयपुर

सारांश

भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातांत्रिक देश की विचारधारा के अनुसार सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त रकने के समान अधिकार है चाहे वह प्रतीि ाशाली हो अथवा बाधित हों। किसी भी रूप में जैसे-शारीरिक बाधित, मानसिक मंदित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, शारीरिक अंग के अस्थि दोषों से बाधित हो, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है। सीभ प्रकार के बालकों को सकूल शिखा प्राप्त करने व विकास का पूर्ण अधिकार है।

यह एक सर्वमान्य तयि है कि सभी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से किसी न किसी सीमा तक एक-दूसरे से भिन्न होते हैं। सरकार, समाज तथा शिक्षा संस्थाओं का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे इन बालकों को पहचान कर उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा एवं निर्देशन प्रदान करें।

समावेशी शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है कयोंकि इसके अंतर्गत विभिनन प्रकार से निर्योग्य बालक भी एक सामान्य विद्यालय की सामान्य कक्षा में सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं।

परंतु समस्या यह है कि दिव्यांग बच्चे सामान्य विद्यालय की सामान्य कक्षाओं में लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण शिक्षकों और अभिभावकों के समावेशी शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण की कमी है। कहीं न कहीं समुदाय में समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। जब तक समावेशी शिक्षा के मुख्य घटक विद्यालय, परिवार और समुदाय इसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाते तब तक समावेशी शिक्षा का पूर्ण क्रियान्वयन संभव नहीं हैं।

प्रस्तावना –

शिक्षा मानव की समस्त स्वाभाविक शक्तियों का पूर्ण प्रगतिशील विकास है, अतः शिक्षार्जन करने वालृा बालक सामान्य हो या दिव्यांग, उसको शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त होना न्याय संत है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 (नीति निर्देशक तत्व) में प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की अनविार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इस उद्देश्य की प्राप्ति के प्रयास चल रहे हैं, परंतु आज प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति ही आंशिक रूप से हो पाई है। इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी है, जिनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हैं। दिव्यांग बालकों की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव है।

विश्व जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग दिव्यांग व्यक्तियों का है। विश्व में कुल दिव्यांगो का लगभग आठवां हिस्सा भारत मंे है।

इस प्रकार दिव्यांग वर्ग का प्रभाव आर्थिक व सामाजिक रूप से समाज पर पड़ता है। दिव्यांग वर्ग भी समाज का अभिन्न वर्ग है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि दिव्यांग बच्चों को उन्नति के पर्याप्त अवसर दिए जाए ताकि समाज व राष्ट्र की उन्नति में उनका भी सहयोग प्राप्त हो सके।

भारतीय शिक्षा आयोग (1964-66) के अनुसार दिव्यांग बालक को दी जाने वाली शिक्षा का प्रमुख कार्य है- उसके सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से सामंजस्य करने के लिए तैयार करना, जिसका निर्माण सामान्य व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हुआ है। अतः यह आवश्यक है कि दिव्यांग बालकों की शिक्षा सामान्य शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग हो।

इसी उद्देश्य की पूर्ति के पूरक कार्यक्रम के रूप में सन् 1975 में समाज कल्याण विभाग, भारत सरकार ने समेकित शिक्षा योजना (आई ई डी) प्रारंभ की। इस योजना के अंतर्गत सामान्य विद्यालय में पढने वाले दिव्यांग छात्रों को छा.वृत्ति व अतिरिक्त सुविधा दी गई तािा विशिष्ट शिक्षा के लिए अतिरिक्त भत्ते का प्रावधान किया गया।

यदि विकलांग बच्चे सामान्य समुदाय के साथ रहते हैं तो विशिष्ट विद्यालय में शिखा के लिए उन्हें पृथक नहीं करना चाहिए, बल्कि सामन्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालय में पढ़ाया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में समानता के लिए शिक्षा नामक अध्याय में दिव्यांग बच्चों और सामान्य बच्चों की शिखा के एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

समस्या का औचित्य -
भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातांत्रिक देश की विचारधारा के अनुसार सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अधिकार हैं चाहे वह प्रतिभाशाली हो अथवा बाधित हो। किसी भी रूप में जैसे-शारीरिक बाधित, मानसिक मंदित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, शारीरिक अंग के अस्थि दोषों से बाधित हो, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है। सभ्झी प्रकार के बालकों को स्कूल शिक्षा प्राप्त करने व विकास का पूर्ण अधिकार है।

समावेशी शिक्षा इसलिए महतवपूर्ण है क्योंकि इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के नियोग्य बालक भी एक सामान्य विद्यालय की सामान्य कक्षा में सामान्य बालाके के साथ शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं।

परन्तु समस्या यह है कि विकलांग बच्चे सामान्य विद्यालय की सामान्य कक्षाओं में लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण शिक्षकों और अभिभावकों के समावेशी शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण की कमी है। कहीं न कहीं समुदाय में समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। जब तक समावेशी शिक्षा के मुख्य घटक विधालय, परिवार औरी समुदाय इसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाते तब तक समावेशी शिक्षा का पूर्ण क्रियान्वयन संभव नहीं हैं।

संबंधित साहित्य
1. मंजू वेणी (2018) ''शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र की समावेशी शिक्षा के अंतर का अध्ययन''
उद्देश्य - शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में समावेशी शिक्षा के अंतर को जानना।
निष्कर्ष- शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र में दिव्यांग बालकों के लिए प्रारंभ समावेशी शिक्षा के द्वारा अंतर को पहचान कर उनका सर्वांगीण विकास करना।

2. कमलम (2018) ''त्रिची जनपर में त्रिवरंबूर ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का अध्ययन''
उद्देश्य- मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की कार्यक्षमता का निर्माण कर अध्ययन किया।
निष्कर्ष- प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की मंदबुद्धि बालकों के विषय में काफी जानकारी बढ़ी है।

3. स्वरूप चौपड़ा (2017) ''अतिसक्रिय अवस्था में ध्यान की कमी पर अध्ययन''
उद्देश्य- शोधकर्ता ने अभिभावकों तथा शिक्षकों के साक्षात्कार के लिए शिक्षकों तथा अभिभावकों का निरीक्षण, ज्ञान, विद्यालय का प्रवेश, घर का वातावरण, शिक्षाकों तथा अभिभावकों पर ध्यान देते हुए किया गया।
निष्कर्ष- शोधकर्ता ने विद्यालयों का समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण जानने का प्रयास किया।

तकनीकी शब्दों का परिभाषीकरण –

1. समावेशी शिक्षा - समावेशी शिक्षा से आशय उस शिक्षा व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत सामान्य विद्यालय में सामान्य पाठ्यक्रम को, सामान्य व दिव्यांग विद्यार्थी साथ-साथ अध्ययन करते हैं।

दृष्टिकोण, मनोवृत्ति का अर्थ - साधारण अर्थ में मनोवृत्ति व्यक्ति के मन की एक दशा होती है जिसके द्वारा वह समाज की विभिन्न परिस्थितियों, वस्तुओं, व्यक्तियों आदि के प्रति अपने विचार एवं मनोभाव प्रकट करता है।

दिव्यांगता - दिव्यांगता का अर्थ उस असामान्य अवस्था से है, जो प्रभावित बालक को औसत बालक से अलग करती है। यह अंतर शारीरिक आकृति, बौद्धिक स्तर, सामाजिक समायोजन, व्यवहार व भावात्मक या संवेदात्मक किसी भी रूप में हो सकती है।

शोध के उद्देश्य –

- समावेशी शिक्षा के प्रति ग्रामीण निजी विद्यालयों में कार्यरत पुरूष प्रधानाध्यापकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

शोध के परिकल्पना -

समावेशी शिक्षा के प्रति निजी विद्यालयों के पुरूष प्रधानाध्यापकों का सकारात्मक दृष्टिकोण पाया जाता है।

शोध की विधि -
प्रस्तुत शोध कार्य में शोधकर्त्री द्वारा सर्वेक्षण विधि का चयन किया गया है।

जनसंख्या -
प्रस्तुत शोध कार्य में शोध हेतु जयपुर शहर के राजकीय व निजी विद्यालयों के शिक्षकों का चयन जनसंख्या के रूप में किया गया है।

शोध में प्रयुक्त न्यादर्श -
प्रस्तुत शोध में शोधकर्त्री द्वारा न्यादर्श के रूप में जयपुर जिले के 32 अध्यापकों का चयन उद्देश्यपरक रूप से किया गया है।

शोध में प्रयुक्त उपकरण -
शोधकर्त्री द्वारा उपकरण के रूप में स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है।

सांख्यिकीय प्रविधियाँ -
प्ररस्तुत शोध कार्य में सांख्यिकी के रूप में सहसंबंध का प्रयोग किया गया है।

शोध का परीसीमांकन -
- विद्यालय में समावेश के आधार पर ही प्राधानाध्यापकों का चुनाव प्रतिदर्श के रूप में किया गया है।
- इस अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।
- शोध के न्यादर्श हेतु केवल 32 अध्यापकों का चयन किया गया है।
- समय, धन और संसाधनों के अभाव के कारण अभिवृत्ति मापने की विश्वसनीयता और वैद्यता की जांच नहीं की गई है।

आँकड़ों का विश्लेषण –

समावेशी शिक्षा के प्रति निजी विद्यालयों के पुरूष व महिला प्रधानाध्यापकों के दृष्टिकोण का विश्लेषण-

समूह	पुरूष	महिला
सहमत	75	75
असहमत	25	25

इस क्षेत्र के निजी विद्यालयों के पुरूष प्रधानाध्यापकों के बीच प्रतिशत मान ज्ञात किया गया जो निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत सहमत तथा 25 प्रतिशत असहमत के रूप में प्राप्त हुए।

इसी प्रकार इस क्षेत्र के निजी विद्यालयों के महिला प्रधानाध्यापकों के बीच प्रतिशत मान ज्ञात किया गया। जो कि 75 प्रतिशत सहमत तथा 25 प्रतिशत असहमत के रूप में प्राप्त हुआ।
अतः यह परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

शोध निष्कर्ष -

1ण् समावेशी शिक्षा के प्रति ग्रामीण क्षेत्र में, सरकारी विद्यालयों में कार्यरत महिला अध्यापकों के स्थान पर पुरूष अध्यापकों का दृष्टिकोण सकारात्मक पाया गया।

भावी शोध हेतु सुझाव -

- समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन पर शोध किया जा सकता है।
- प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित सेवारत शिक्षकों के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन किया जा सकता है।
- इस शोध को विस्तृत क्षेत्र व समूह पर किया जा सकता है।
- पूर्व सेवाकालिक शिक्षक और सेवारत शिक्षकों के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
- विद्यार्थियों व अभिभावकों के समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को आंका जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची -

1. गर्ग, सरिता (जनवरी 2005) भारतीय आधुनिक शिक्षा एनसीईआरटी नई दिल्ली
2. झा मदन मोहन (2003) समावेशी शिक्षा, दृष्टिकोण और प्रक्रियाएं, प्रकाशन संस्थान नई दिल्ली
3. पाण्डेय, के.पी (2008) शैक्षिक अनुसंधान, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी
4. कौल, लोकेश (2008) शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली, विकास पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली
5. कपिल, एच के (2009) अनसुंधान विधियां, एच पी भार्गव बुक हाउस, आगरा